लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2019-20

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में
2019-20

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हरियाणा सरकार

प्रस्तावना

वर्ष 2019-20 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के बाइसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों जैसा कि वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त=-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन, मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखों को राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा रहेगी।

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

चण्डीगढ़
दिनांक 24 फरवरी 2021

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत् अग्रसर हैं तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समयःबद्ध प्रतिवेदन हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियोंः विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता - को इस बात का स्वतंत्र आश्वासन देते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निपादिता के आंकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	अधिदृष्टि	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्त्रोत एंव अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005	9
अध्याय 2	प्राप्तियाँ	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	12
2.3	कर राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण पर लागत	17
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछलें पांच वर्षों का रूझान	17
2.6	सहायतानुदान	18
2.7	लोक ऋण	19
अध्याय 3	व्यय	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	26
अध्याय 4	विनियोग लेखे	
4.1	वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों का सारांश	27
4.2	विगत पांच वर्षों मे बचत/ आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28

पृष्ठ संख्या

अध्याय 5	परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व	
5.1	परिसम्पत्तियाँ	31
5.2	ऋण तथा देनदारियाँ	32
5.3	प्रतिभूतियाँ	33
अध्याय 6	अन्य मदें	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	34
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	34
6.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	36
6.5	लेखों का मिलान	36
6.6	लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण	36
6.7	असमायोजित सार आकस्मिकता बिल	36
6.8	उचन्त तथा प्रेषण शेषों की स्थिति	37
6.9	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति	38
6.10	अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यों की प्रतिबद्धताएँ	38
6.11	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	39
6.12	वैयक्तिक जमा खाते	39
6.13	निवेश	40
6.14	व्यय की हड़बड़ी	40
6.15	आरक्षित निधियों की स्थिति	41
6.16	भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर की लेखा प्रणाली	43

अध्याय-1

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा सामग्री को संग्रहित, वर्गीकृत एवं संकलित करने तथा हरियाणा सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन, 24 जिला खजानों, 116 लोक निमार्ण मण्डलों(भवन तथा सड़कें एवं जन स्वास्थ्य), 86 सिंचाई मण्डलों, 41 वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित संज्ञापनों से किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा हरियाणा सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों एवं व्यय की गुणवता के बारे में त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा–परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

सरकारी लेखों की संरचना

भाग-I समेकित निधि

कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्व, उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (उन पर व्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। प्रदत्त ऋण तथा लिए गए ऋणों की वापसी (व्याज सहित) सहित सरकार के समस्त व्ययों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग-II आकस्मिकता निधि

यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये बिना अप्रत्याशित-व्यय (जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है) की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है।

हरियाणा सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 200 करोड़ है।

भाग-III लोक लेखा

लोक लेखा में ऋण (भाग-I में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से सम्बन्धित लेन-देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग मे ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा के पुनर्भुगतान और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में खजानों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारंभिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखा परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखे संकलन हेतु प्रवाह आरेख

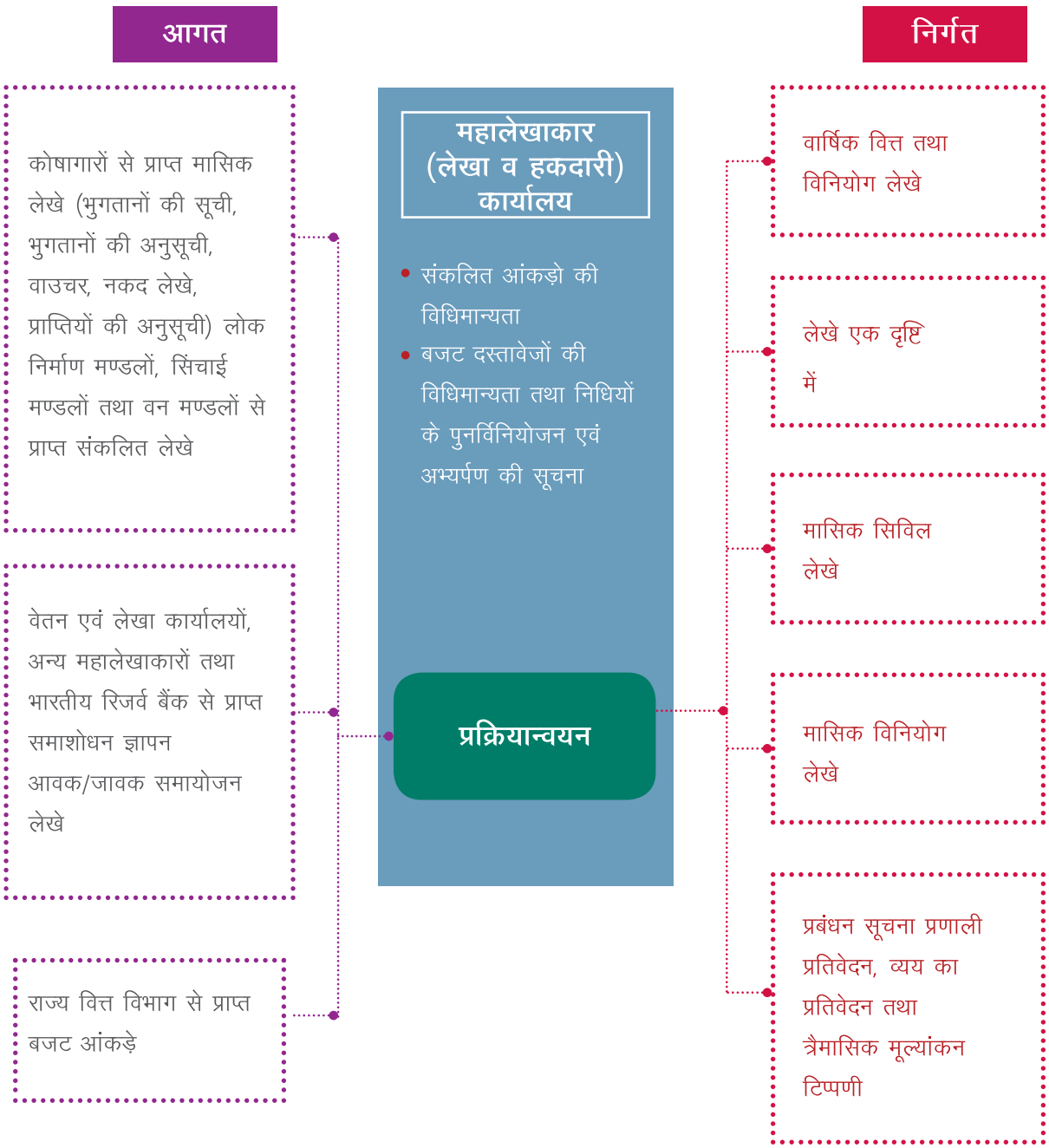

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखों में, अभिलेखित, राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखों तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत, विस्तृत विवरणियाँ (भाग- I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किये जाते हैं ।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने, हरियाणा के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 4,351 करोड़ की राशि जारी की। क्योंकि ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आई, इन्हें राज्य सरकार के लेखों में नहीं दर्शाया गया है। इन अन्तरणों को वित्त-लेखे के खण्ड- II के परिशिट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2019-20 की वित्तीय झलकियाँ

वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता(ग)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	62,321	49,936	80	6
2.	गैर कर राजस्व	10,025	7,400	74	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,873	10,522	107	1
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	82,219	67,858	83	8
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	5,449	5,393	99	..*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	1,778	54	3	..*
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (ख)	30,217	30,518	101	4
8.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	37,444	35,965	97	4
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,19,663	1,03,823	87	12
10.	राजस्व व्यय	1,00,048	84,848	85	10
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	16,633	15,588	94	2
12.	पूंजीगत व्यय	19,563	17,666	90	2
13.	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1,682	1,309	78	..*
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,21,293	1,03,823	86	12
15.	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)	17,829	16,990	95	2
16.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)	31,847	30,518	96	4
17.	प्राथमिक घाटा (11+16)	(-)15,214	(-)14,930	98	2

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 7,111 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 42,825 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 5 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

(ग) सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 8,31,610 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेाण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये हैं तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर भी उपलब्ध है।

** प्रतिशतता न के बराबर है इसलिए इसे .. से दर्शाया गया है*

वर्ष 2019-20 की प्राप्तियां व संवितरण

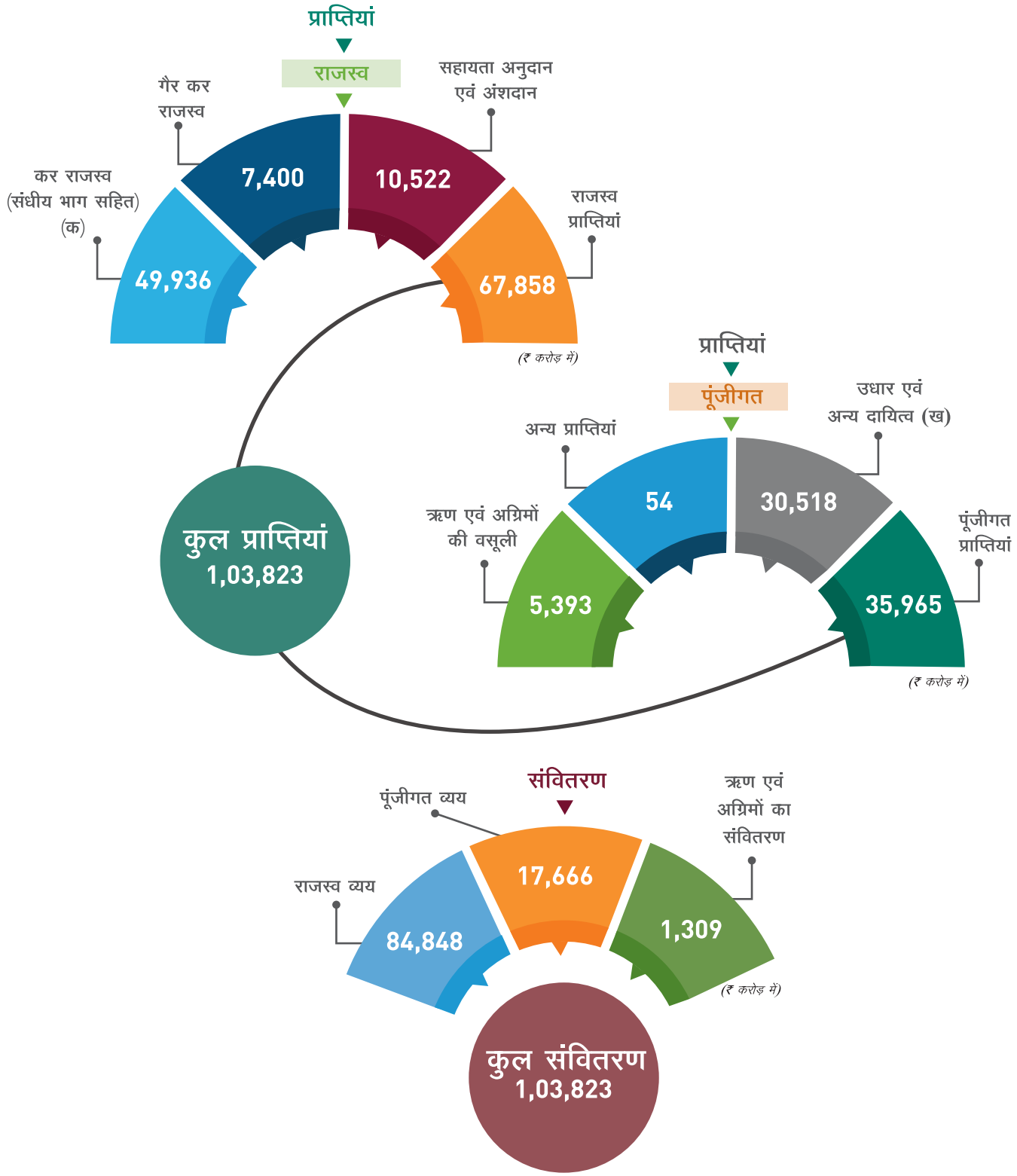

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 7,111 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 42,825 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 5 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + रोकड के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। विनियोग लेखे, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं। हरियाणा के बजट में 18 प्रभारित विनियोजन तथा 45 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखों का उद्देश्य यह दर्शाना है कि वास्तविक व्यय किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के अनुसार किया गया है।

1.3.4 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के मुकाबले हरियाणा सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत, व्यय में कटौती के कारण ₹ 26,593 करोड़ (₹ 1,56,450 करोड़ के बजट अनुमानों का 17.00 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा व्यय में कटौति होने पर ₹ 4,642 करोड़ (₹ 14,899 करोड़ के बजट अनुमानों का 31.15 *प्रतिशत*) के अधिक अनुमानों को दर्शाया गया है। भवन तथा मार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, कृषि तथा ग्रामीण और सामुदायिक विकास से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर बचतें प्रदर्शित की गई हैं।

1.4 निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, हरियाणा सरकार ने ₹ 1,261.75 करोड़ की राशि (चार बार : ₹ 279.45 करोड़, ₹ 230.77, ₹ 177.99 तथा ₹ 573.54 करोड़) अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर ली गई तथा उसे इसी वर्ष के दौरान वापिस कर दिया गया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविर्का लिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी अधिविकर्ष नहीं लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

वर्ष 2019-20 में राज्य का राजस्व-घाटा ₹ 16,990 करोड़ तथा राजकोीय घाटा ₹ 30,518 करोड़ था। राजकोीय घाटे की पूर्ति, निवल लोक ऋण (₹ 28,656 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 1,012 करोड़) तथा आरंभिक और अंतिम नकद शेष में निवल कमी (₹ 850 करोड) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 67,858 करोड़) का लगभग 68 प्रतिशत, वेतन (₹ 21,721 करोड़), ब्याज-अदायगी (₹ 15,588 करोड़) तथा पेंशन (₹ 8,833 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च हुआ।

निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
स्त्रोत	
01 अप्रैल 2019 को आरंभिक रोकड़ शेष	(-)794
राजस्व प्राप्तियाँ	67,858
पूंजीगत प्राप्तियाँ	54
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	5,393
लोक ऋण	44,432
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,670
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	2,317
जमा प्राप्तियाँ	29,111
सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखे	82,254*
प्रेषण	8,919
आकस्मिकता निधि	..
योग	2,43,214
अनुप्रयोग	
राजस्व व्यय	84,848
पूंजीगत व्यय	17,666
प्रदत्त ऋण	1,309
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिम सहित)	15,775
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,423
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	392
जमा का पुनर्भुगतान	29,594
प्रदत्त सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखे	83,878**
प्रेषण	8,973
31 मार्च 2020 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)1,644
योग	2,43,214

₹ 81,221 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

₹ 82,832 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियाँ

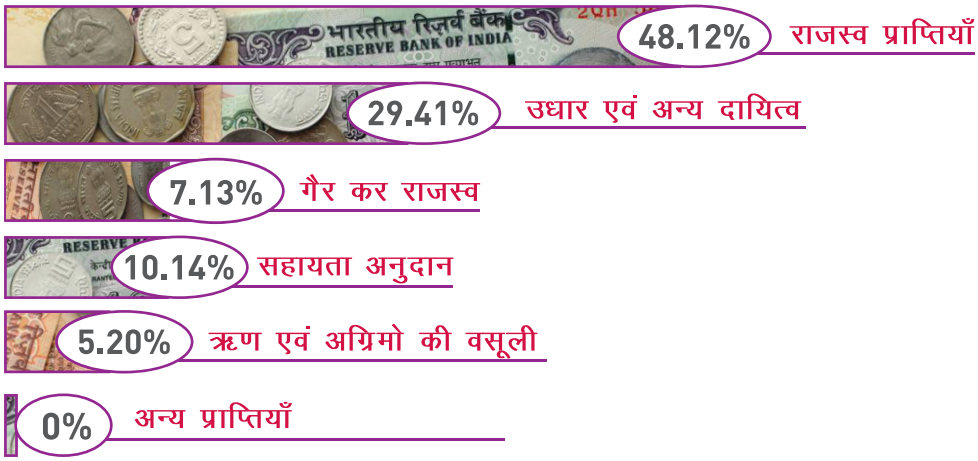

(अन्य प्राप्तियों की राशि न के बराबर थी अतःशून्य दर्शायी गयी है)

1.4.4 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

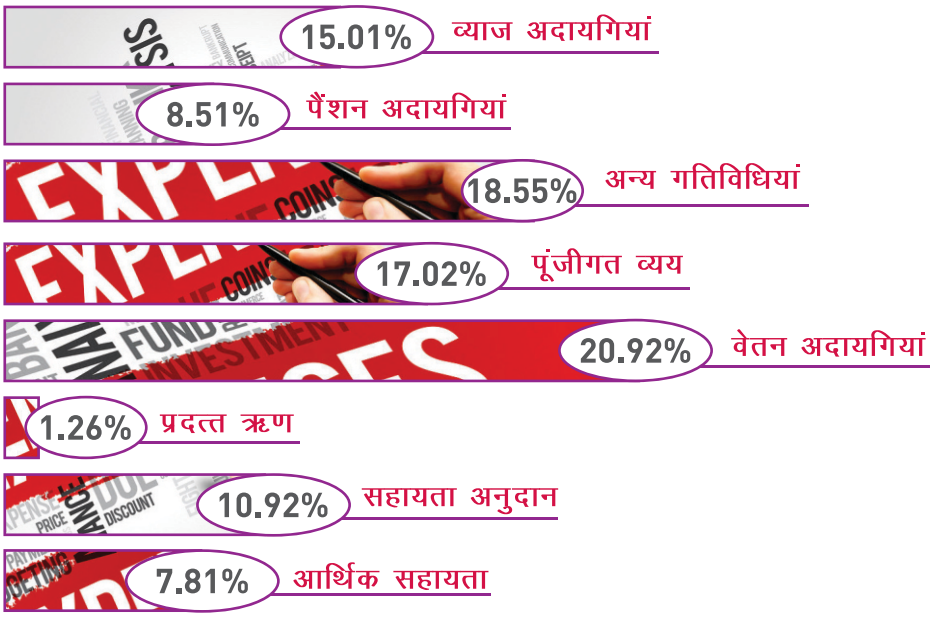

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 16,990 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ घाटा) तथा ₹ 30,518 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.04 *प्रतिशत* तथा 3.67 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा सकल व्यय का 29 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा /आधिक्य

राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप, इसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा /आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। इसलिए, यह अन्तर यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोति किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

धाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदंड हैं। हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफ्त्रिशों के अनुसार अपने राजकोीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया है तथापि विभिन्न मदों पर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	16,990	0.00	2.04 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
2	राजकोषीय घाटा	30,518.62	3.25 या कम	3.67 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
3	ऋण	1,85,491.05	21.23 या कम	22.31 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)

* *सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 8,31,610.21 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर भी उपलब्ध हैं।*

राज्य सरकार ने हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवश्यक प्रकटन विधान मण्डल में प्रस्तुत किये।

राज्य का राजस्व धाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ और वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 16,990 करोड़ था जोकि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 8,606 करोड़ की बढोतरी के कारण, चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 30,518 करोड़ रहा। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.67 *प्रतिशत* था जो कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के 3.25 *प्रतिशत* के अनुरुप नहीं था। वर्ष 2018-19 तक परादेय ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 21.33 *प्रतिशत* तक कम करने की सिफारिशों के मुकाबले 31 मार्च 2020 को परादेय ऋण ₹ 1,85,491 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.31 *प्रतिशत* है।

1.5.1 राजस्व घाटे / आधिक्य के रूझान

राजकोषीय घाटे के रूझान

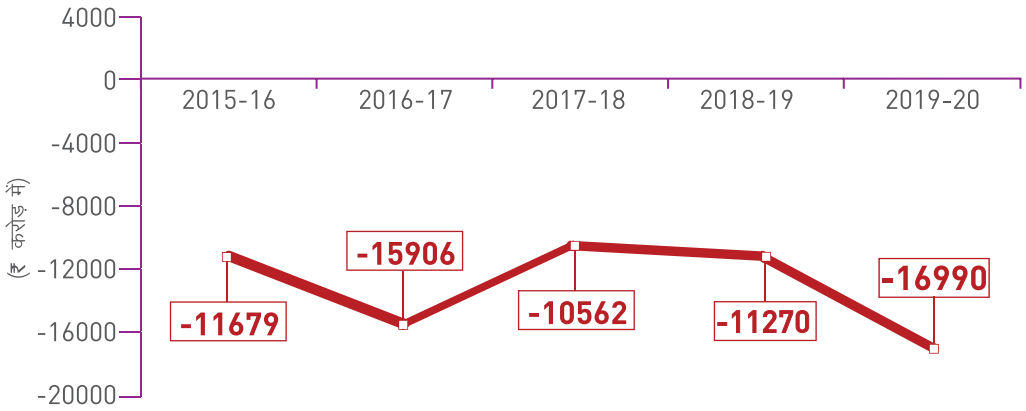

1.5.2 राजकोषीय घाटे के रूझान

राजकोषीय घाटे के रूझान

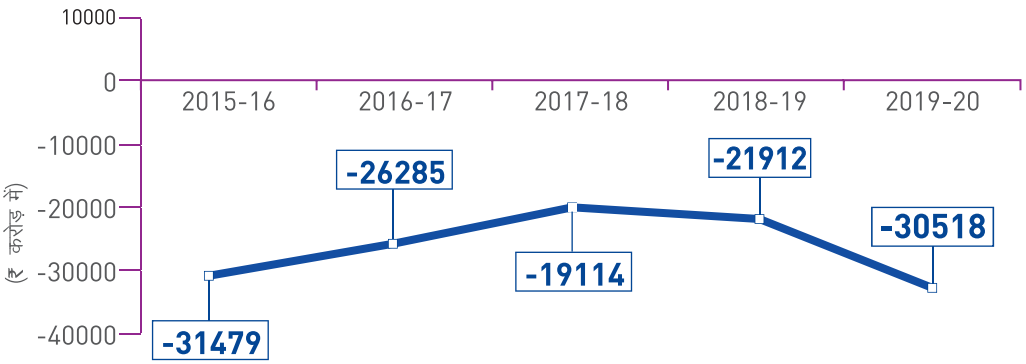

1.5.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2015-16	37,998	6,908
2016-17	28,170	6,863
2017-18	21,490	13,538
2018-19	34,265	15,307
2019-20	44,432	17,666

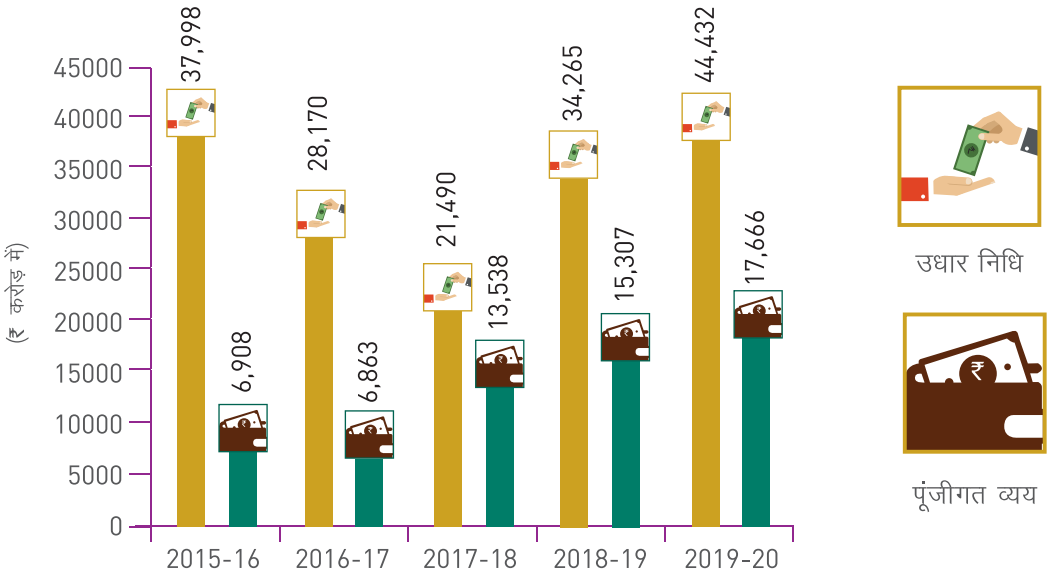

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा पूंजीगत/परिसम्पतियाँ बनाने के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण के लिए ऋण लेती है ताकि उधारी द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर अदायगी कर सकें। इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु उधारी के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों का इस्तेमाल आपेक्षित है। परन्तु राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹ 44432 करोड़) का केवल 40 *प्रतिशत* पूंजीगत व्यय (₹ 17,666 करोड़) पर तथा 3 *प्रतिशत*, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों (₹ 1,309 करोड़) पर खर्च कर पाई। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधारी का 57 *प्रतिशत* (₹ 25,457 करोड़), पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹ 15,776 करोड़) और ब्याज के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय-2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,03,823 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :: कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायता अनुदान — सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त ''वैदेशिक सहायता अनुदान'' तथा ''सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण'' भी शामिल है । बदले में, राज्य-सरकार भी पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि संस्थानों को सहायता अनुदान देती है ।

राजस्व-प्राप्तियाँ

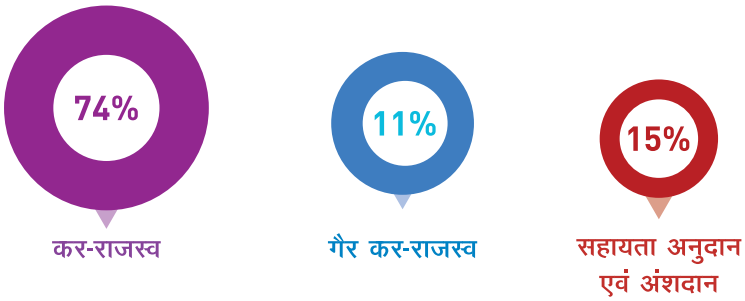

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2019-20)

घटक		वास्तविक आंकडे (₹ करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क.	कर-राजस्व	49,936	74
	वस्तु तथा सेवा कर	20,891	31
	आय व व्यय पर कर	4,324	6
	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	6,034	9
	वस्तुओं व सेवाओं पर कर	18,687	28
ख.	गैर कर-राजस्व	7,400	11
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	2,062	3
	सामान्य सेवाएँ	459	1
	सामाजिक सेवाएँ	2,720	4
	आर्थिक सेवाएँ	2,159	3
ग.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,522	15
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	67,858	100

** इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्य का निवल आगम का भाग सम्मिलित है ।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	30,929 (7)	34,026 (7)	41,099 (7)	42,581 (6)	42,825 (5)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	5,496 (1)	6,597 (1)	7,298 (1)	8,255 (1)	7,111 (1)
गैर कर-राजस्व	4,753 (1)	6,196 (1)	9,113 (1)	7,976 (1)	7,400 (1)
सहायता अनुदान	6,379 (1)	5,678 (1)	5,185 (1)	7,073 (1)	10,522 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**47,557 (10)**	**52,497 (10)**	**62,695 (10)**	**65,885 (9)**	**67,858 (8)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**4,92,657**	**5,47,396**	**6,08,471**	**7,07,126**	**8,31,610**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

हांलाकि वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 17.60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई परन्तु राजस्व संग्रहण में बढोतरी केवल 2.99 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष के मुकाबले, कुल कर राजस्व (संघीय करों के हिस्से सहित) 1.77 *प्रतिशत* तक घटा जबकि गैर कर-राजस्वों में 7.22 *प्रतिशत* तक की कमी देखी गयी तथा सहायता अनुदान में 48.76 *प्रतिशत* बढ़ोतरी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों के रूझान

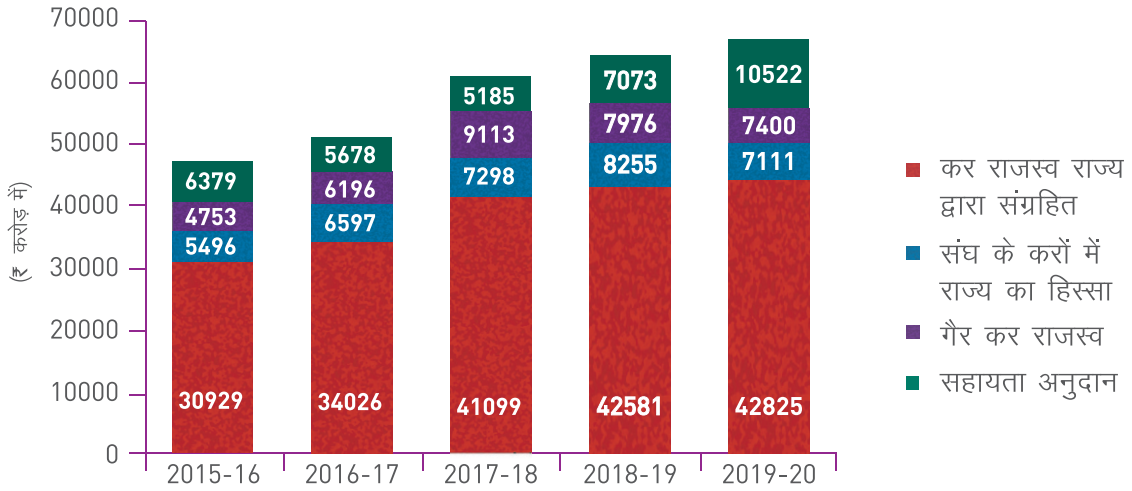

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क. वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	11,675 (1.92)	20,813 (2.94)	20,891 (2.51)
ख. आय व व्यय पर कर	2,938 (0.60)	3,591 (0.66)	4,124 (0.68)	5,000 (0.71)	4,324 (0.52)
ग. सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	3,207 (0.65)	3,303 (0.60)	4,210 (0.69)	5,656 (0.80)	6,034 (0.72)
ध. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	30,280 (6.14)	33,729 (6.16)	28,388 (4.66)	19,367 (2.74)	18,687 (2.25)
कुल कर राजस्व	36,425 (7.39)	40,623 (7.42)	48,397 (7.95)	50,836 (7.19)	49,936 (6.00)
जी. एस. डी. पी.	4,92,657	5,47,396	6,08,471	7,07,126	8,31,610

नोटः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते है।

वर्ष 2019-20 में सकल कर राजस्व में कमी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य अंश कम प्राप्त होने जैसे कि निगम कर (₹ 466 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 214 करोड़), कस्टम (₹ 134 करोड़) एवं एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) के तहत राज्य के हिस्से का गैर आबंटन (₹ 163 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर करों (₹ 600 करोड़) के तहत कम एकत्रीकरण के कारण हुई। जिसे मुख्यतः स्टांम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस (₹ 377 करोड़) एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 260 करोड़) की वृद्धि से पूरा किया गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों के रूझान

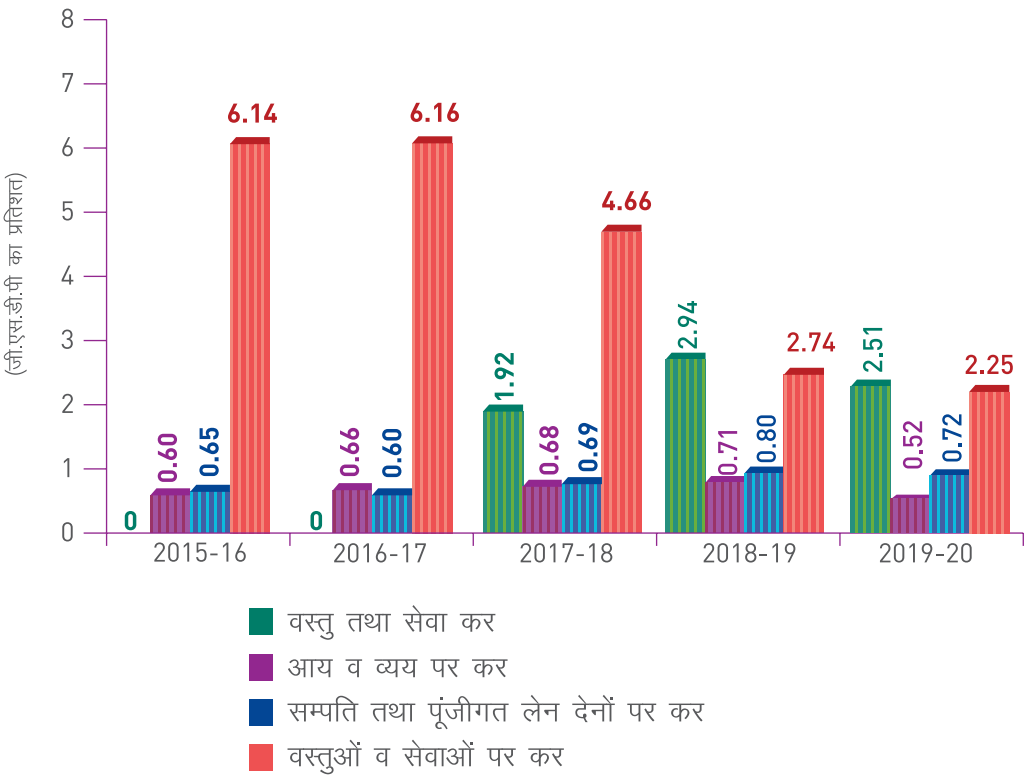

2.3.1 राज्य के निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता है :: राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों का अन्तरण ।

वर्ष	कर राजस्व (₹ करोड़ में)	संघीय करों / शुल्कों में राज्य का अंश (₹ करोड़ में)	राज्य का निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व (₹ करोड़ में)	जी. एस. डी. पी. से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015-16	36,425	5,496	30,929	6.28
2016-17	40,623	6,597	34,026	6.22
2017-18	48,397	7,298	41,099	6.75
2018-19	50,836	8,255	42,581	6.02
2019-20	49,936	7,111	42,825	5.15

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान दो स्त्रोतों से प्राप्त कर राजस्व को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य का निजी कर संग्रहण	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825
संघीय करों का अन्तरण	5,496	6,597	7,298	8,255	7,111
सकल कर राजस्व	**36,425**	**40,623**	**48,397**	**50,836**	**49,936**
राज्य के निजी कर की सकल कर राजस्व से प्रतिशतता	*85*	*84*	*85*	*84*	*86*

राज्य के निजी कर संग्रहण का सकल कर राजस्व से अनुपात वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 में घटकर 84 *प्रतिशत* हो गया, वर्ष 2017-18 में फिर से बढकर 85 *प्रतिशत,* फिर वर्ष 2018-19 में घटकर 84 *प्रतिशत* हो गया तथा वर्ष 2019-20 में एक बार फिर बढकर 86 *प्रतिशत* हो गया ।

2.3.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1. राज्य वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	10,833	18,613	18,873
2. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	21,060	23,488	15,609	8,998	8,398
3. राज्य उत्पाद शुल्क	4,371	4,613	4,966	6,042	6,323
4. वाहनों पर कर	1,401	1,583	2,778	2,908	2,916
5. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,191	3,283	4,192	5,636	6,013
6. विद्युत पर कर एवं शुल्क	257	276	306	337	262
7. भूमि राजस्व	15	16	18	19	20
8. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	554	595	2,317	21	16
9. अन्य कर	80	172	79	7	4
कुलः राज्य के निजी कर	**30,929**	**34,026**	**41,099**	**42,581**	**42,825**

2.4 कर संग्रहण पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रहण	21,060	23,488	15,609	8,998	8,398
संग्रहण पर व्यय	129	142	148	151	172
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.61	0.60	0.95	1.68	2.05
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रहण	4,371	4,613	4,966	6,042	6,323
संग्रहण पर व्यय	31	35	42	38	47
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.71	0.76	0.85	0.63	0.74
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व संग्रहण	1,955	2,178	5,095	2,929	2,932
संग्रहण पर व्यय	19	29	38	56	58
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.97	1.35	0.75	1.91	1.98
4. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रहण	3,191	3,283	4,192	5,636	6,013
संग्रहण पर व्यय	15	11	10	9	10
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.47	0.34	0.24	0.16	0.17

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा वाहन, माल एवं यात्री कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	105	2,038	2018
एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	737	163	शून्य
निगम कर	1,733	2,118	2,236	2,871	2425
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,205	1,472	1,888	2,114	1900
आय और व्यय पर अन्य कर	शून्य	शून्य	शून्य	15	शून्य
सम्पत्ति कर	1	5	शून्य	1	शून्य
सीमा शुल्क	880	911	737	585	451
संघीय आबकारी शुल्क	733	1,041	770	389	313
सेवा कर	940	1,050	825	75	शून्य
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	शून्य	शून्य	4	4
संघीय करों /शुल्कों में राज्य का अंश	5,496	6,597	7,298	8,255	7,111
कुल कर राजस्व	36,425	40,623	48,397	50,836	49,936
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	15	16	15	16	14

हरियाणा सरकार को वर्ा 2015-16 से 2019-20 के दौरान, कुल कर राजस्व का 14 *प्रतिशत* से 16 *प्रतिशत* हिस्सा, सभी बांटने योग्य संघ करों की निवल आगम से प्राप्त हो रहा है।

2.6 सहायतानुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹ 10,522 करोड थी, जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

सहायता अनुदान

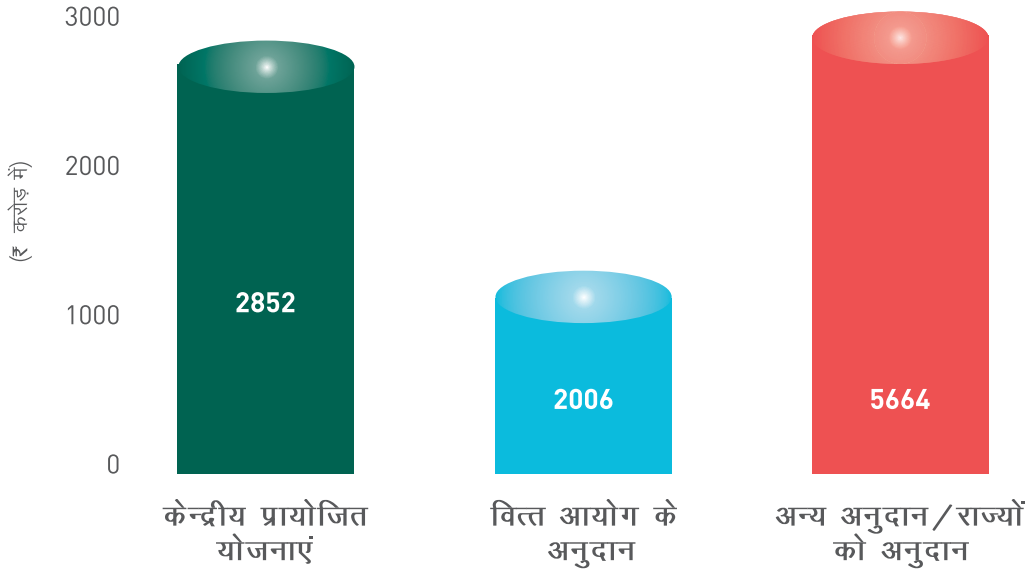

सहायता अनुदान के रूझान

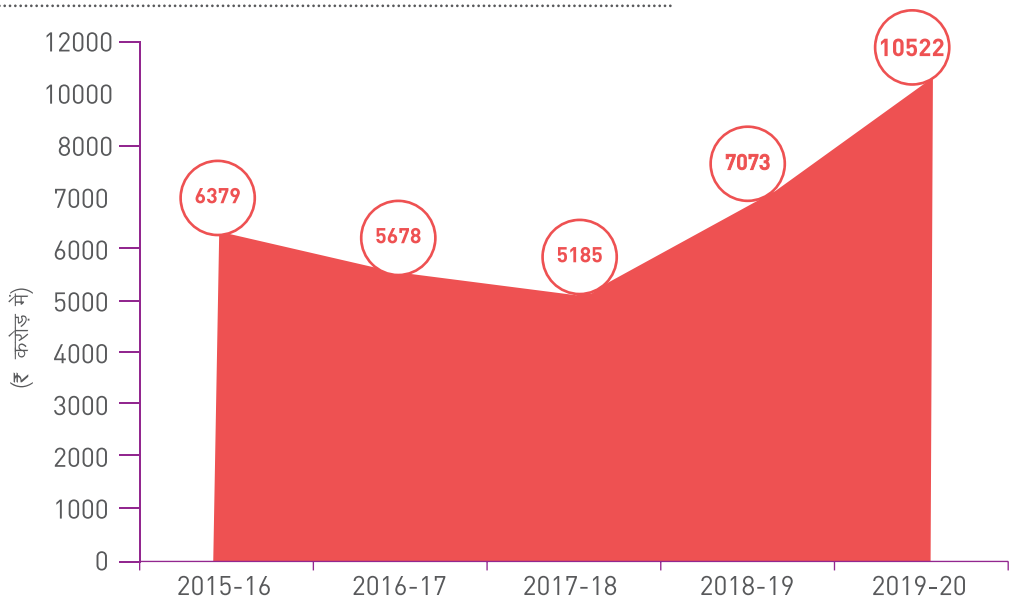

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण के रूझान

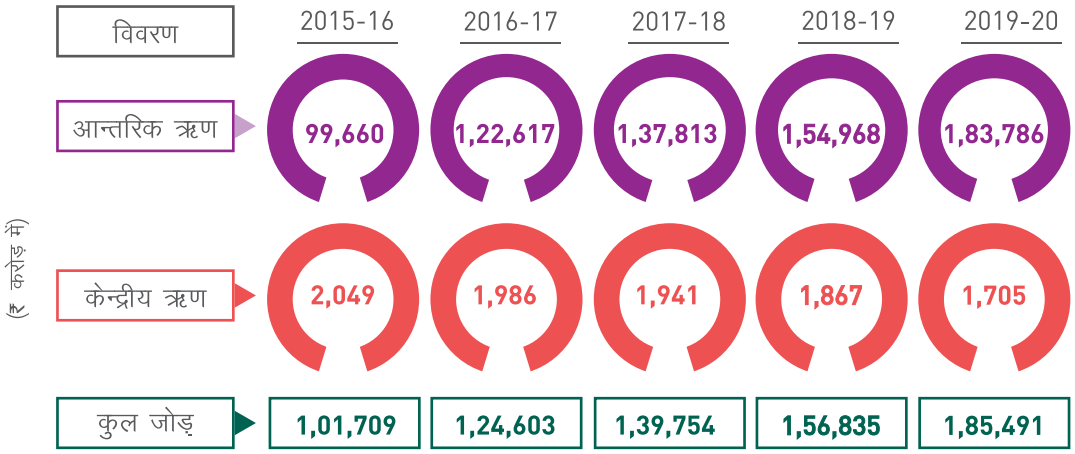

वर्ष 2019-20 में, ₹ 24,677 करोड़ के सत्रह ऋण, 6.90 *प्रतिशत* से 8.18 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से, खुला-बाजार से उठाये गए थे जो वर्ष 2029-40 तक प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 18,275 करोड़ के ऋण तथा अन्य ऋणों के द्वारा ₹ 116 करोड़ उठाये । भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 1,261.75 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम (चार बार : ₹ 279.45 करोड़, ₹ 230.77 करोड़, ₹ 177.99 करोड़, तथा ₹ 573.54 करोड़) लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 44,330 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 102 करोड़ भी प्राप्त हुए।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

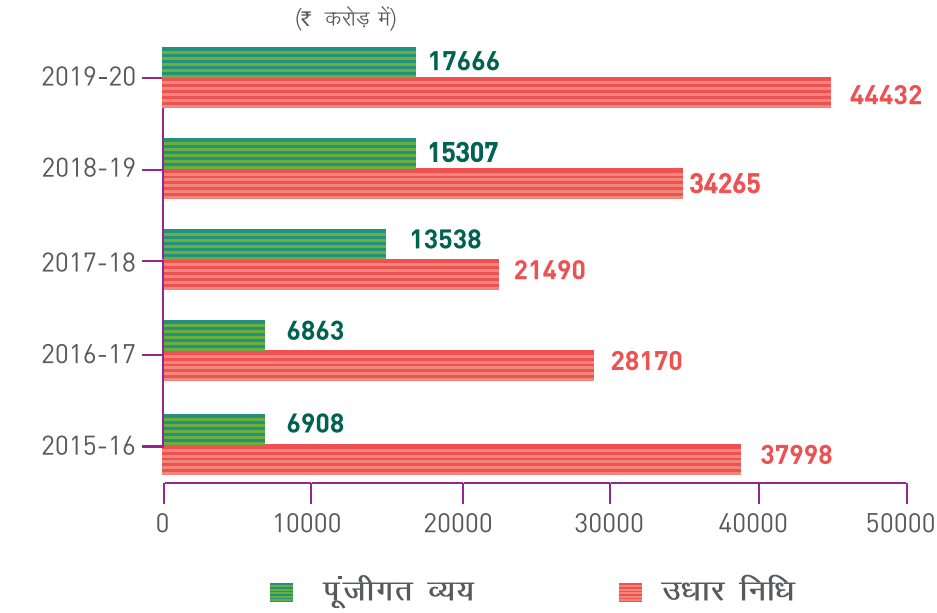

अध्याय-3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

3.2 राजस्व व्यय

विनियोग लेखों के अनुसार पिछले पांच वर्षो के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बजट अनुमान	70,365	79,284	86,715	91,072	1,00,755
वास्तविक आंकड़े	61,047	68,766	73,491	77,365	85,180
अन्तर	9,318	10,518	13,224	13,707	15,575
वास्तविक आंकड़ों के अन्तर की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	13	13	15	15	15

(स्रोत- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (17 *प्रतिशत*) के कारण, राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय का लगभग 54 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन (₹ 21,721 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 15,588 करोड़) तथा पैंशन (₹ 8,833 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के 'प्रतिबद्ध दायित्व' हैं।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	28,229	32,511	38,548	41,103	46,142
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	*48*	*48*	*53*	*53*	*54*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	31,007	35,892	34,709	36,052	38,706

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन , ब्याज तथा पैंशन भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में, वर्ष 2015-16 (₹ 31,007 करोड़) से वर्ष 2019-20 में (₹ 38,706 करोड़) 25 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2015-16 (₹ 59,236 करोड़) से वर्ष 2019-20 में (₹ 84,848 करोड़) 43 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 63 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2019-20)

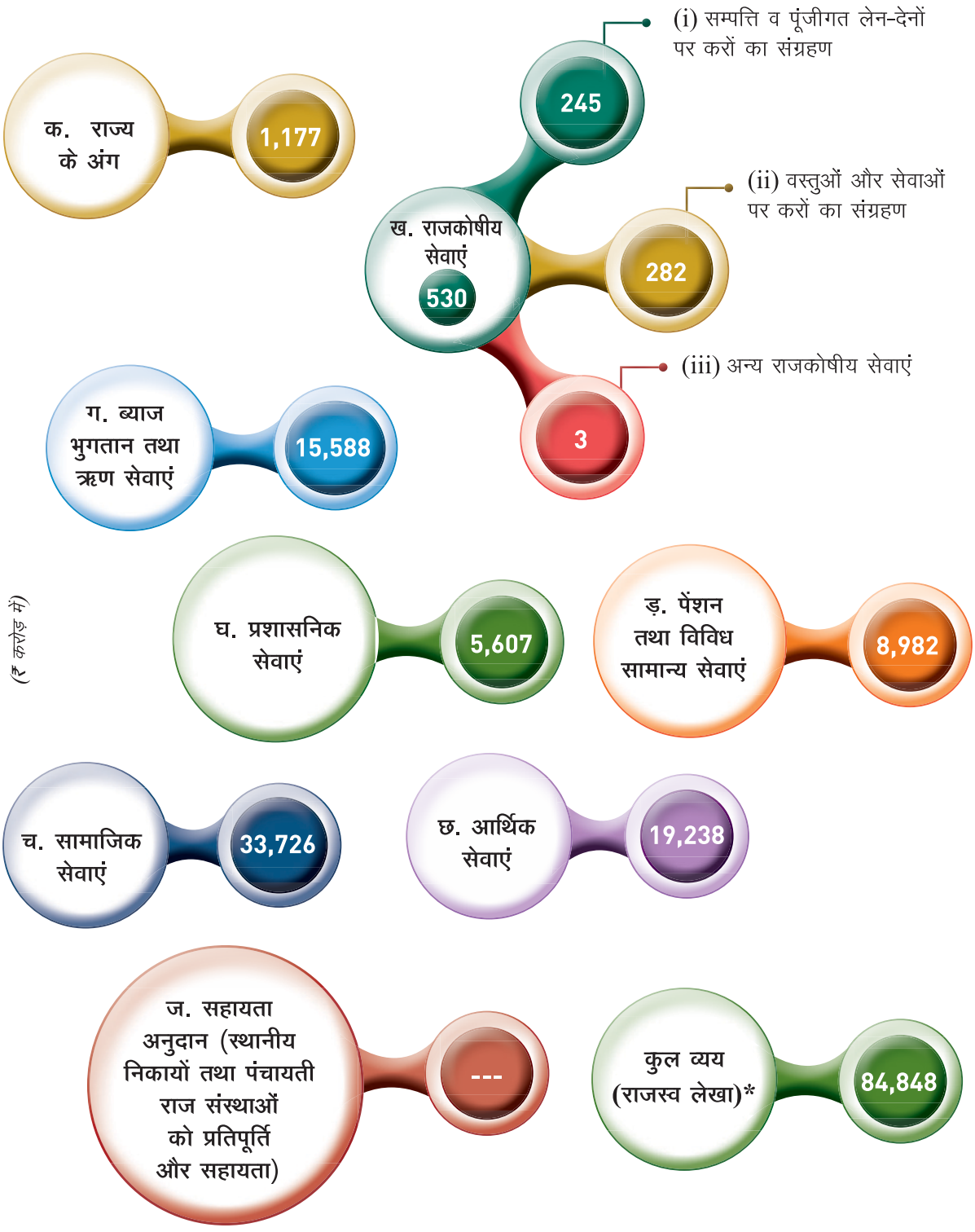

** (शुद्ध वसूलियां घटाने के बाद)*

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2015-16 2019-20)

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामाजिक सेवाएँ	21,539	25,473	28,061	29,743	33,726
आर्थिक सेवाएँ	18,691	20,875	18,107	19,021	19,238
ऋण सेवाएँ	*8,547*	*10,542*	*11,961*	*13,551*	*15,588*
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं के अतिरिक्त)	10,166	11,089	14,738	14,618	16,296

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों

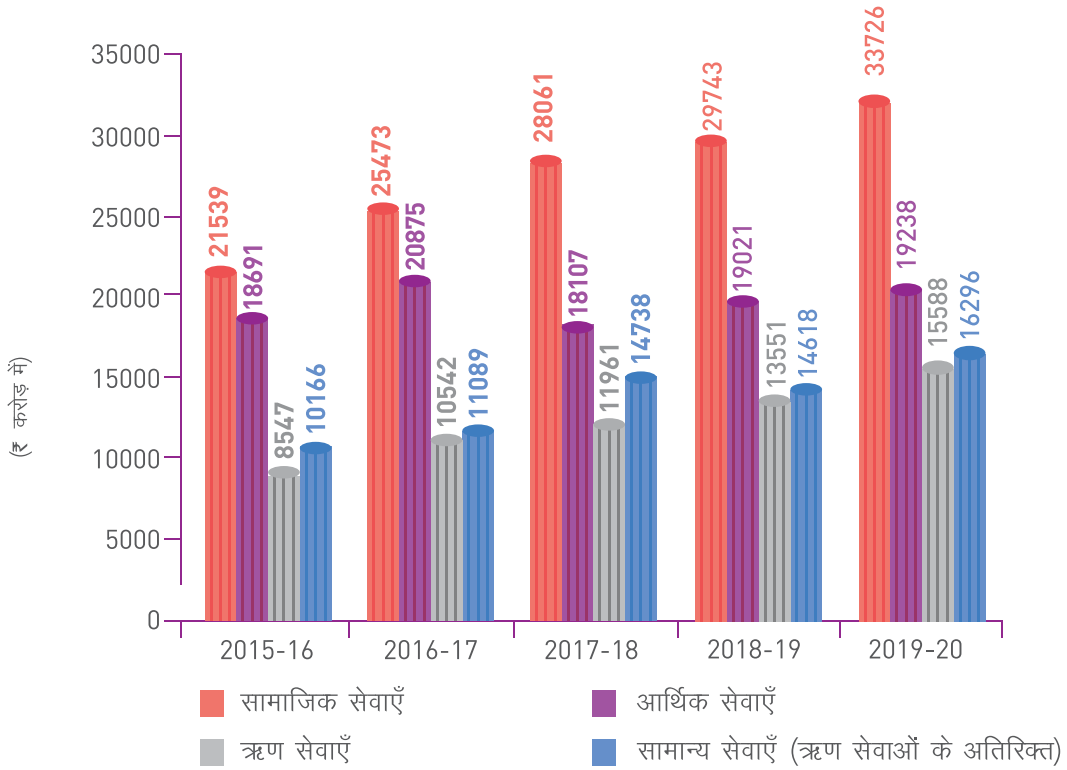

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय विकास प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2019-20 में ₹ 17,666 करोड का पूंजीगत व्यय (जी एस डी पी का 2 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 1,897 करोड़ कम था। वर्ष 2015-16 के बाद (वर्ष 2016-17 को छोड़ कर) पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानंतर वृद्धि नहीं हुई ।

यह नीचे की सारणी से प्रतीत होता है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बजट अनुमान*	5,904	8,817	11,122	19,573	19,563
2	वास्तविक पूंजीगत व्यय (#)	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666
3	वास्तविक पूंजीगत व्यय से बजट अनुमानों की प्रतिशतता	117	78	122	78	90
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	86	(-)1	97	13	15
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,92,657	5,47,396	6,08,471	7,07,126	8,31,610
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	13	11	11	16	18

**आंकड़े विनियोग लेखों के अनुसार हैं जिसमे वसूली, व्यय की कमी के साथ में सम्मिलित हैं*
 # इसमें ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2019-20 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,107 करोड़ (₹ 673 करोड़ मुख्य सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 434 करोड़) का व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 1,800 करोड़ का खर्च किया तथा सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 6,229 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंको तथा समितियों के द्वारा ₹ 54 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. पिछले पाँच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	460 (2)	399 (3)	481 (3)	715 (4)	586 (3)
सामाजिक सेवाएँ	1,540 (8)	1,587 (14)	3,173 (21)	3,805 (24)	3,234 (17)
आर्थिक सेवाएँ	4,908 (24)	4,877 (43)	9,884 (66)	10,787 (67)	13,846 (73)
ऋण और अग्रिम	13,250 (66)	4,515 (40)	1,395 (10)	756 (5)	1,309 (7)
कुल पूंजीगत व्यय	**20,158**	**11,378**	**14,933**	**16,063**	**18,975**

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े, कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान

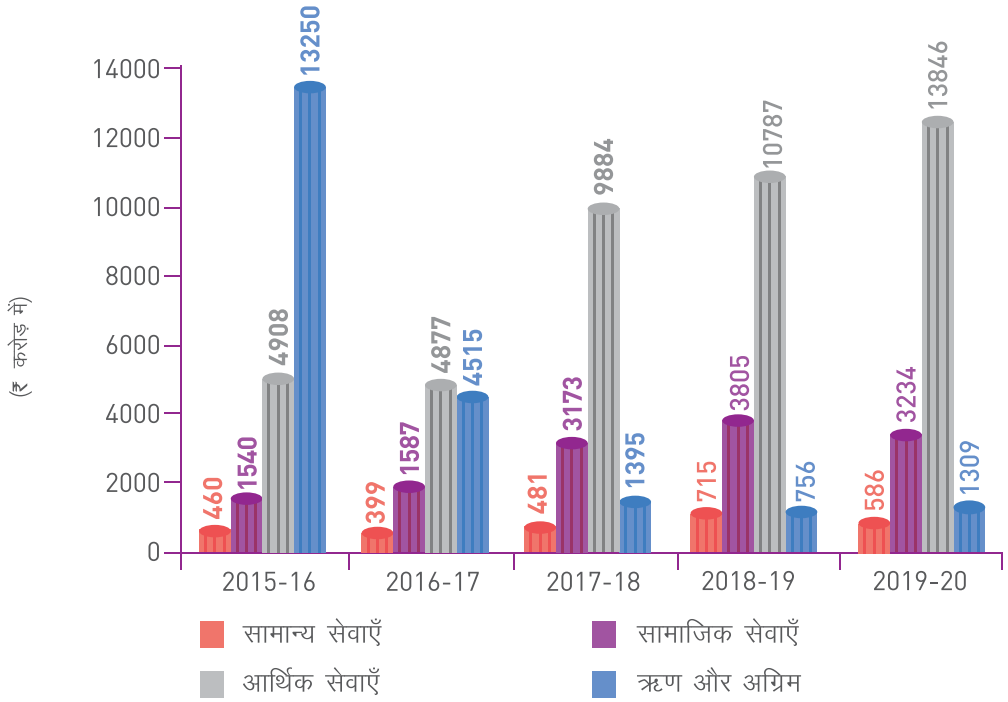

3.3.3. पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड	प्रवर्ग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क)	सामान्य सेवाएँ	पूंजीगत	460	399	481	715	586
		राजस्व	18,713	21,631	26,699	28,169	31,884
(ख)	सामाजिक सेवाएँ	पूंजीगत	1,540	1,587	3,173	3,805	3,234
		राजस्व	21,539	25,473	28,061	29,743	33,726
(ग)	आर्थिक सेवाएँ	पूंजीगत	4,908	4,877	9,884	10,787	13,846
		राजस्व	18,691	20,875	18,107	19,021	19,238
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		राजस्व	293	424	390	222	--

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

2019-20 में पिछले वर्ष के मुकाबले, वेतन तथा ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि दर्ज की गई जबकि पैंशन पर व्यय में कमी हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

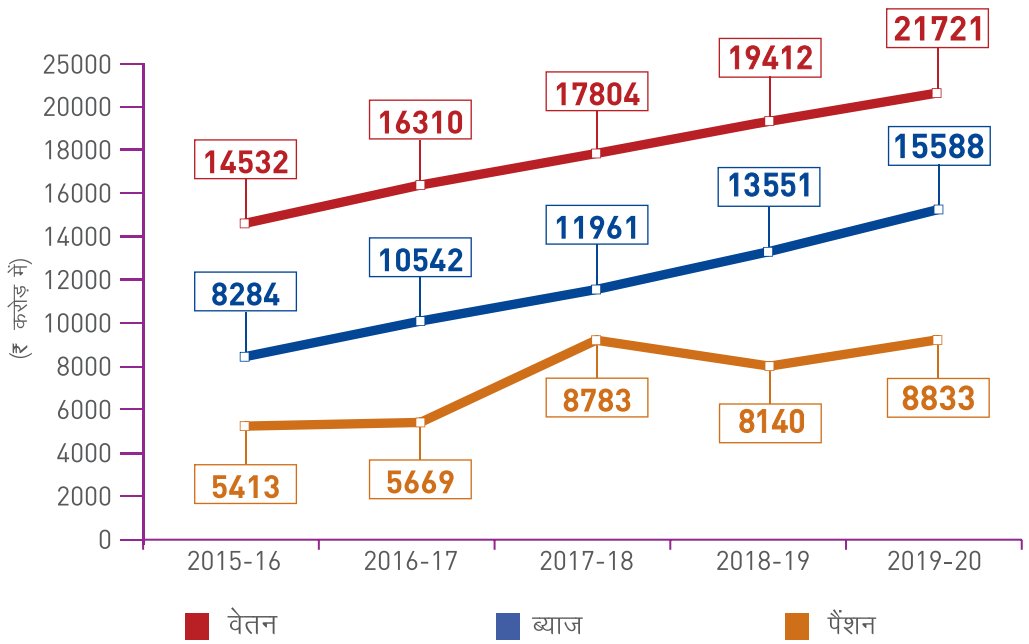

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ प्रतिबद्ध व्यय के तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से हैः

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रतिबद्ध व्यय	28,229	32,511	38,548	41,103	46,142
राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
राजस्व प्राप्तियाँ	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	59	62	61	62	68
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व व्यय से प्रतिशतता	48	48	53	53	54

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, प्रतिबद्ध व्यय में, 63 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि उसी समय के दौरान, राजस्व व्यय 43 *प्रतिशत* बढा जिस कारण, विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय-4

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	77,959	5,772	शून्य	83,731	69,391	(-) 14,340
	प्रभारित	16,990	34	शून्य	17,024	15,789	(-) 1,235
2.	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	30,351	3,239	शून्य	33,590	27,467	(-) 6,123
	प्रभारित	100	65	शून्य	165	124	(-) 41
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	20,257	..	शून्य	20,257	15,775	(-)4,482
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	1,407	275	शून्य	1,682	1309	(-)373
	जोड़						
	दत्तमत	**1,09,717**	**9,286**	**शून्य**	**1,19,003**	**98,167**	**(-) 20,836**
	प्रभारित	**37,347**	**99**	**शून्य**	**37,446**	**31,688**	**(-)5,758**

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य के रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2015-16	(-) 9,318	(-) 3,496	(-) 2,821	(-) 444	**(-) 16,079**
2016-17	(-) 10,518	(-) 4,393	(-) 4,402	(-) 276	**(-) 19,589**
2017-18	(-) 13,224	(-) 4,988	(-) 3,606	(-) 209	**(-) 22,027**
2018-19	(-) 13,707	(-) 3,325	(-) 2,082	(-) 1,256	**(-) 20,370**
2019-20	(-) 15,575	(-) 6,164	(-) 4,482	(-) 373	**(-) 26,594**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है।

विगत पांच वर्षो के निरन्तर तथा महत्वपूर्ण निवल बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
4	राजस्व	--	--	--	328	382
7	आयोजना तथा सांख्यिकी	238	283	122	332	191
8	भवन तथा सड़कें	--	1,880	1,464	1,142	1,374
9	शिक्षा	--	3,436	2,446	1,900	787
10	तकनीकी शिक्षा	--	--	--	68	58
11	खेलकूद तथा युवा कल्याण	84	106	226	119	130
12	कला एवं संस्कृति	5	4	--	10	122
13	स्वास्थ्य	--	--	849	920	760
14	नगर विकास	870	--	554	39	1,394
15	स्थानीय शासन	1,408	--	1,463	2,169	2,264
16	श्रम	13	--	--	5	7
17	रोजगार	30	--	--	45	70
18	ओद्यौगिक प्रशिक्षण	--	--	136	238	234
19	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण	325	222	369	335	232
21	महिला तथा बाल विकास	437	406	343	554	537
23	खाद्य एवं पूर्ति	2,148	--	--	294	973
25	उद्योग	78	439	242	357	63
26	खान एवं भू-विज्ञान	--	-	--	13	23
27	कृषि	375	827	649	957	1,543
28	पशुपालन तथा डेरी विकास	182	--	--	108	198
29	मछली पालन	--	--	43	33	23
30	वन तथा वन्य प्राणी	--	98	143	145	178
31	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	--	--	3	8	1
32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	815	--	2,394	1,358	1,613
35	पर्यटन	11	36	52	25	12
37	निर्वाचन	--	--	38	31	171
39	सूचना तथा प्रचार	--	--	--	224	41
41	इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्यौगिकी	24	31	--	65	102
44	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	12	16	18	11	14
PD	लोक ऋण	2,821	4,402	3,606	2,082	4,482
45	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	--	--	209	1,256	373

नोट :- गैर महत्वपूर्ण बचत को -- से दर्शाया गया है।

भवन तथा सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं पूर्ति, कृषि और ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास के अधीन निरन्तर व्यापक बचतें, योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट-अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुछ मामलों में, कुल ₹ 9,385 करोड़ के अनुपूरक अनुदान (सकल व्यय ₹ 1,29,855 करोड़ का 7.23 *प्रतिशत*) अनावश्यक सिद्ध हुए । वर्ष के अन्त में, मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
8	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय 80 - सामान्य 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 98 - लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ) (बी.ए.आर-पी.एल.ओ-सी.ए.पी)	पूंजीगत	520	434	0
9	2202- सामान्य शिक्षा 03- विश्वविद्यालय एवं उच्चत्तर शिक्षा 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 96- उच्चत्तर शिक्षा विभाग (ई.डी.एच-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	0	243	0
13	2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलौपेथी 001- निर्देशन एवं प्रशासन 92- स्वास्थ्य विकास (डी.एच.एस.-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ व्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	0	293	0
14	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं 051- निर्माण 88- शहरी और ग्रामीण योजना विभाग (टी.सी.पी. - पी.एल.ओ- सी.ए.पी) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	पूंजीगत	0	500	0
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 91- शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डी.एल.बी-पी.एल.ओ- आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	0	987	0
24	4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य खर्चे 98- सिंचाई और जल स्त्रोत विभाग (आई.आर.आर-पी.एल.ओ-सी.ए.पी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	पूंजीगत	0	260	0

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
27	2401- कृषि कार्य 51- एन.ए. 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 98- कृषि और किसान कल्याण विभाग (ए.जी.आर-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	30	300	0
32	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 51- एन.ए. 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 96- ग्रामीण विकास और पंचायत (आर.यू.डी-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	0	372	0
34	5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 51- एन.ए. 050- भूमि और भवन 76- परिवहन के लिए (टी.आर.ए.-पी.एल.ओ-सी.ए.पी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	पूंजीगत	0	255	0
40	2801- ऊर्जा 80- सामान्य 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 98 - ऊर्जा के लिए (पी.ओ.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.) के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ)	राजस्व	0	1500	0

अध्याय-5

परिसम्पतियाँ तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड. कर, सही तरह नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसे लेखे केवल चालू-वर्ष की देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ीयों पर पडने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते। वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2019-20 के अन्त में, गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूंजी के रूप में कुल निवेश, ₹ 36,923 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान, ₹ 87.01 करोड़ (कुल निवेश का 0.24 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ा 2019-20 के दौरान, निवेश में ₹ 6,175 करोड़ की तथा लाभांश में ₹ 30.41 करोड़ की वृद्धि हुई।

01 अप्रैल 2019 को, भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ (-)794 करोड़ था जो मार्च 2020 के अन्त तक घटकर ₹ (-)1,644 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 में, सरकार ने 132 अवसरों पर, ₹ 82,832 करोड़ का 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 81,221 करोड़ के मूल्य का, 192 अवसरों पर खजाना बिलों का पुनः बटटा चुकाया। वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

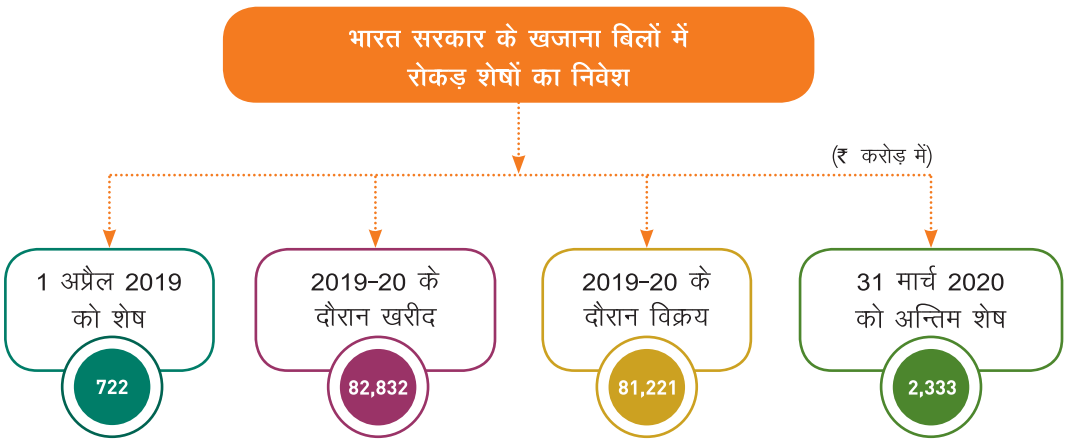

5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, राज्य की समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है ।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पांच वर्षो का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

वर्ष	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	लोक लेखा (*) (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	कुल दायित्व (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता
2015-16	1,01,709	21	19,009	4	1,20,718	25
2016-17	1,24,603	23	21,768	4	1,46,371	27
2017-18	1,39,754	23	24,322	4	1,64,076	27
2018-19	1,56,835	22	27,381	4	1,84,216	26
2019-20	1,85,491	22	30,071	4	2,15,562	26

(*) उचन्त और प्रेाण शेष से बाहर है।
नोटः आंकड़े वर्ष के अन्त तक प्रगतिशील शेष हैं ।

2019-20 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से, ₹ 31,346 करोड़ (17 प्रतिशत) की निविल वृद्धि हुई है।

सरकारी दायित्वों का रूझान

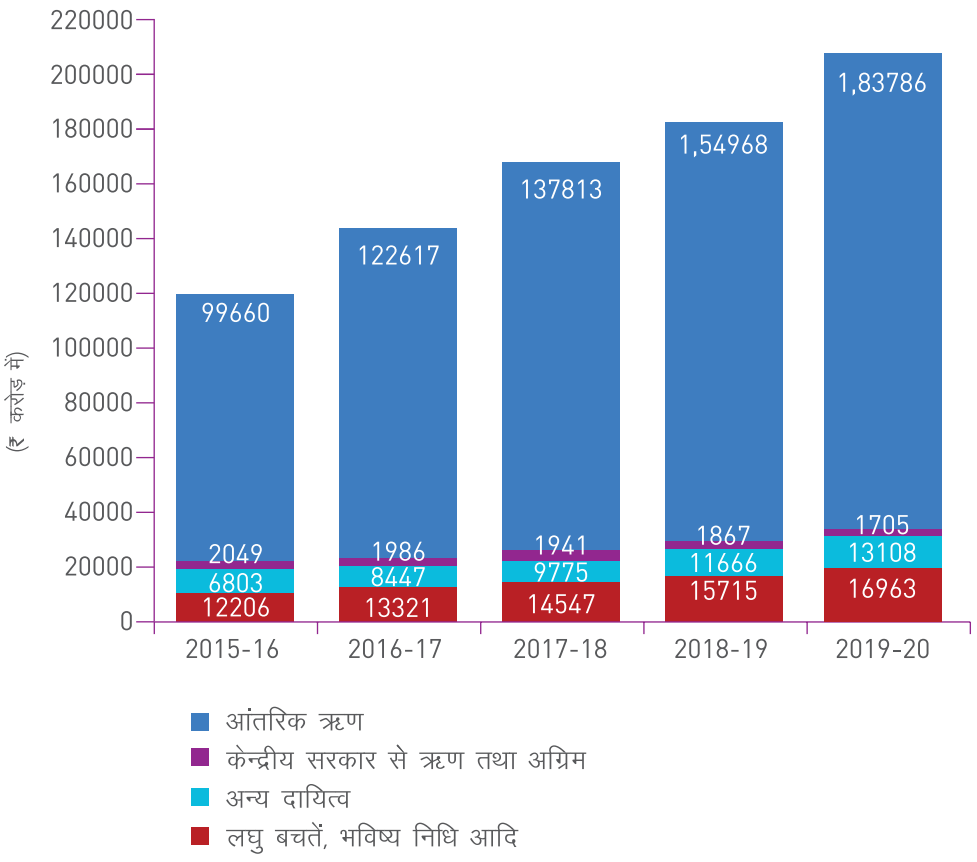

5.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रतिभूतियाँ भी देती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋण/पूंजी तथा उस पर ब्याज की अदायगी न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विगत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2015-16	34,974	16,876*	उपलब्ध नही #
2016-17	17,911	8,244*	उपलब्ध नही #
2017-18	19,000	14,138*	उपलब्ध नही #
2018-19	20,654	18,220*	उपलब्ध नही #
2019-20	22,560	20,738*	उपलब्ध नही #

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

अध्याय-6
अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रतिभूतियाँ भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के खातों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी लेखों में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम बयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2020 को, हरियाणा राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे ।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2019-20 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 7,390.30 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इनमें से, सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि ₹ 7,313.94 करोड़ थी। वर्ष 2019-20 के अन्त मे ₹ 55.27 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई । वर्ष 2019-20 के दौरान, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली के तौर पर ₹ 5,393 करोड़ की राशि (विद्युत वितरण कम्पनियों का ₹ 5,190 करोड का ऋण इक्वटी में बदलने सहित) प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 69 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे ।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों की राशि वर्ष 2015-16 के ₹ 10,765 करोड़ से बढकर वर्ष 2019-20 में ₹ 11,337 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों, (पंचायती राज संस्थानों) तथा नगरपालिकाओं/नगर-परिदों को दिए गए अनुदान (₹ 5,377 करोड़), वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 47 *प्रतिशत* है।

विगत पांच वर्षों में दिए गए सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	जिला परिषद	1,262	2,264	2,283	2,547	3,098
2	नगर पालिका	1,046	1,586	2,467	2,092	2,279
3	सरकारी कम्पनियां	1,011	1,118	1,101	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	4,584	4,791	1,022	1,350	1,745
5	विश्वविद्यालय	1,984	2,130	2,103	2,093	2,497
6	विकास प्राधिकरण	878	758	868	866	813
7	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,130	905
	जोड़	10,765	12,647	9,844	10,078	11,337

सहायता अनुदान

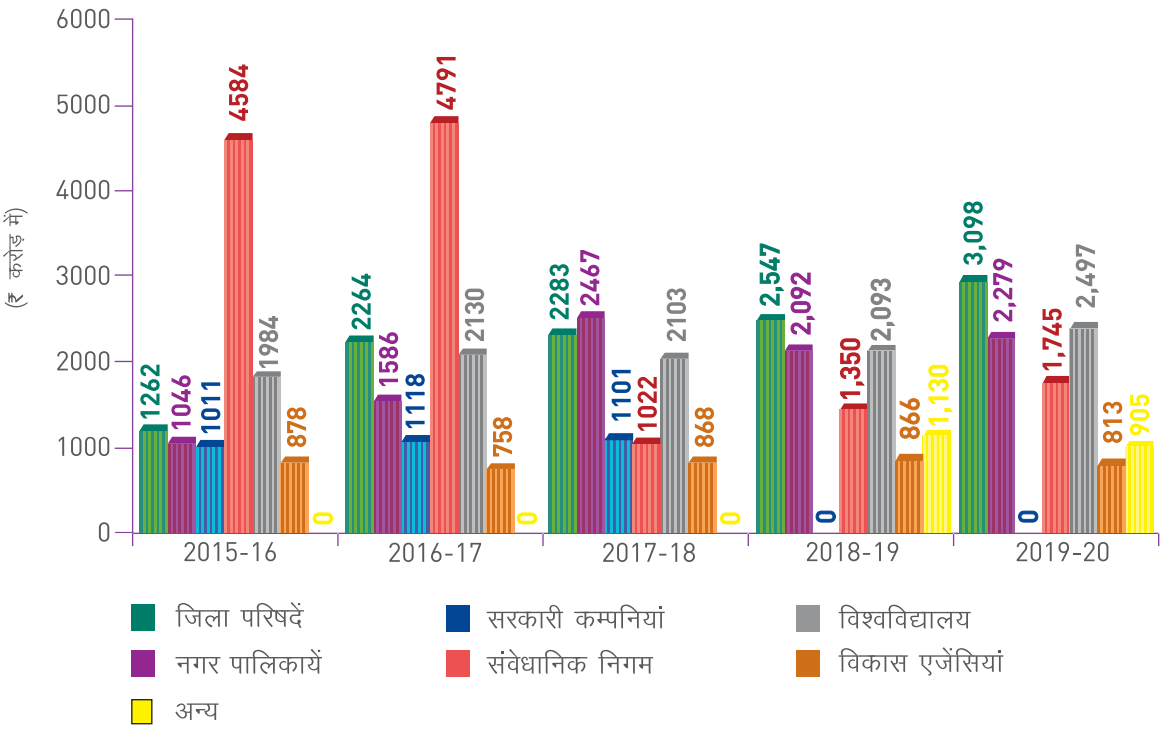

विगत पांच वर्षों में पूजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंवटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	जिला परिषद	शून्य	शून्य	1,545	2,336	2991
2	नगर पालिका	शून्य	373	2,145	1,028	1387
3	सरकारी कम्पनीयां	शून्य	59	14	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	शून्य	11	117	43	16
5	विश्वविद्यालय	29	122	153	183	173
6	विकास प्राधिकरण	शून्य	7	133	143	156
7	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	142	140
	जोड़	29	572	4,107	3,875	4,863

6.4 रोकड शेषों तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2019 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति	निवल बढौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 794	(-) 1,644	(-) 850
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	722	2,333	(-) 1,611
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	3,055	3,308	253
(क) निक्षेप निधि	1,924	2,082	158
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	1,129	1,224	94
(ग) अन्य निधियां	2	2	शून्य
वर्ष के दौरान वसूल ब्याज	92	77	(-) 15

31 मार्च 2020 को, राज्य सरकार का रोकड़ शेष नकारात्मक था। रोकड़ शेष के निवेशों पर, वर्ष 2018-19 (₹ 92 करोड़) की तुलना में, वर्ष 2019-20 (₹ 77 करोड़) में 16 *प्रतिशत* कम ब्याज प्राप्ति हुई।

6.5 लेखों का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रक अधिकारियों / नियंत्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने लेखों मे दर्ज सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह, महालेखाकार द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। सभी मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/ नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का यह मिलान शत प्रतिशत किया जा चुका है।

6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेाष्ण

वित्त लेखे 2019-20, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 24 जिला कोाालयों, 116 लोक निर्माण मंडलों भवन तथा मार्ग तथा जन स्वास्थयड़, 86 सिंचाई मंडलों एवं 41 वन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है । लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति संतोाजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा असमायोजित नहीं रखा गया ।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता बिल

धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नहीं होने पर, उन्हें सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करके राशि आहरित करने की अनुमति है तथा व्यय को सेवा शीर्ष के नीचे खर्च के तौर पर दर्शाया जाता है । इन राशियों को, विस्तृत आकस्मिकता बिल(डी सी बिल) एक माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने तक, ऐतराज के तौर पर रखा जाता हैं ।

डी सी बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बी अवधि तक न प्रस्तुत करना लेखों की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है। 31 मार्च 2020 को, ऐतराज के तौर पर रखे असमायोजित सार आकस्मिक्ता बिलों का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	लम्बित डी सी बिल	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	3	1.36
2018-19	90	17.66
2019-20	552	667.66
जोड़	**645**	**686.68**

2019-20 तक, लम्बित डी सी बिलों की 97.17 *प्रतिशत* राशि चार विभागों :: सड़क परिवहन विभाग (18.89 *प्रतिशत* - ₹ 129.72 करोड़ के 218 डी सी बिल), सामान्य शिक्षा विभाग (3.41 *प्रतिशत* - ₹ 23.45 करोड़ के 305 डी सी बिल), स्वास्थ्य विभाग (6.67 *प्रतिशत* - ₹ 45.78 करोड़ के 10 डी सी बिल) तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग(68.20 *प्रतिशत* - ₹ 468.30 करोड़ के 8 डी सी बिल) से लम्बित थी।

6.8 उचन्त तथा प्रेाण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षो के अन्तर्गत, लम्बित शेषों को विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामें एवं जमा शेषों को जोड़तें हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षो के दौरान मुख्य शीर्ष 8658 - उचन्त लेखा तथा 8782-प्रेषण के अन्तर्गत सकल नामें एवं जमा के रूप में महत्वपूर्ण उचन्त मदों का विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीष	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(क)8658-उचन्त लेखे										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	17.27	0.08	25.25	0.01	14.42	0.01	20.40	0.04	26.69	0.01
निवल	**17.19 नामे**		**25.24 नामे**		**14.41 नामे**		**20.36 नामे**		**26.68 नामे**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	43.45	(-)2.96	27.29	0.30	14.66	0.30	14.89	शून्य	109.94	शून्य
निवल	**46.41 नामे**		**26.99 नामे**		**14.36 नामे**		**14.89 नामे**		**109.94 नामे**	
107- नकद समायोजन उचन्त लेखा	172.18	39.62	200.83	48.73	121.95	68.33	53.07	शून्य	52.88	शून्य
निवल	**132.56 नामे**		**152.10 नामे**		**53.62 नामे**		**53.07 नामे**		**52.88 नामे**	
109-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	3.70	0.36	3.83	11.21	1.71	0.64	(-) 10.56	(-) 4.65	0.24	0.97
निवल	**3.34 नामे**		**7.38 जमा**		**1.07 नामे**		**5.91 जमा**		**0.73 जमा**	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.64	4.31	2.07	4.30	4.33	शून्य	4.67	शून्य	11.58	शून्य
निवल	**0.33 नामे**		**2.23 जमा**		**4.33 नामे**		**4.67 नामे**		**11.58 नामे**	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	शून्य	23.23	शून्य	134.87	शून्य	77.08	शून्य	29.85	शून्य	129.85
निवल	**23.23 जमा**		**134.87 जमा**		**77.08 जमा**		**29.85 जमा**		**129.85 जमा**	

**लागू नही*

(ख) 8782-एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन										
102-लोक निर्माण प्रेाण	155.48	290.90	88.00	284.00	54.87	231.32	90.37	431.89	30.78	333.64
निवल	135.42 जमा		196.00 जमा		176.45 जमा		341.52 जमा		302.86 जमा	
103-वन प्रेाण	2.47	3.90	(-) 0.61	2.52	शून्य	3.46	शून्य	1.76	शून्य	3.55
निवल	1.43 जमा		3.13 जमा		3.46 जमा		1.76 जमा		3.55 जमा	

**लागू नही*

6.9 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अन्तर्गत, जहाँ अनुदान विशिट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि के बाद भी लंबित रहना, यह सुनिश्चित करने में कठिनाई प्रस्तुत करता है कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं, जिसके लिए यह जारी की गई थी तथा लेखों में दर्शाया व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष (*)	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
Upto 2017-18	860	3,852.15
2018-19	511	2,184.13
2019-20	633	4,561.30
जोड़	2004	10,597.58

*(*वर्णित वर्ष देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बधित है)*

31 मार्च 2020 तक लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 91.06 प्रतिशत राशि, चार विभागों : शहरी विकास विभाग (49.74 *प्रतिशत* - ₹ 5,271.20 करोड़ के 625 उपयोगिता प्रमाण पत्र), ग्रामीण विकास विभाग (32.98 *प्रतिशत* - ₹ 3,495.22 करोड़ के 933 उपयोगिता प्रमाण पत्र), स्वास्थ्य विभाग (5.86 *प्रतिशत* - ₹ 620.50 करोड़ के 42 उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं सामान्य शिक्षा विभाग (2.48 *प्रतिशत* - ₹ 263.26 करोड़ के 70 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से संबंधित है।

6.10 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो की प्रतिबद्धताएँ

वित्त लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिट IX के अनुसार, 166 अपूर्ण परियोजनाओं पर (प्रत्येक 5 करोड़ एवं उससे अधिक) राज्य सरकार द्वारा, ₹ 2,147.81 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सन्मुख, वर्ष 2019-20 तक ₹ 1,127.40 करोड़ का कुल व्यय किया जा चुका था।

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्यो की श्रेणी (कार्यो की संख्या)	कार्यो की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगतिशील व्यय	बकाया अदायगियाँ	संशोधित अनुमानित लागत
1	सिंचाई कार्य (23)	305.14	90.78	149.42	176.10	उपलब्ध नही
2	भवन कार्य (40)	571.42	102.14	240.42	177.66	उपलब्ध नही
3	सडक तथा पुल कार्य (103)	1271.25	249.36	737.56	503.91	उपलब्ध नही
	जोड़	2147.81	442.28	1,127.40	857.67	उपलब्ध नही

6.11 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

31 दिसम्बर, 2005 अथवा उससे पूर्व नियुक्त, राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर, वर्ष के दौरान व्यय ₹ 8,138.74 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹ 84,848.21 करोड़ का 9.59 *प्रतिशत*) था। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन योजना जो कि एक"परिभाति अंशदायी पेंशन योजना" (डी.सी.पी.एस.) है, के पात्र हैं।

इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन व महगांई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, उतना ही अंशदान राज्य सरकार करती है एवं सारी राशि, राट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित/अमानती बैंक के माध्यम से नियुक्त निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित की जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार द्वारा तुलनात्मक अंशदान का वर्ष दर वर्ष अनुमान नहीं लगाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के ₹ 717.91 करोड के मुकाबले राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 694.20 करोड़ का अंशदान किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपना सांविधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह डी. सी. पी. एस. के तहत सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 23.71 करोड का समरूप अंशदान करने में विफल रही। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा डी. सी. पी. एस. में ₹ 23.71 करोड का कम अंशदान उसी हद तक राजस्व व्यय को कम करके दिखाता है । इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2020 तक डी. सी. पी. एस.के तहत ₹ 1,412.11 करोड़ की कुल संग्रह में से राज्य सरकार ने डी. सी. पी. एस. के प्रावधानों के अनुसार एन.एस.डी.एल. को आगे निवेश करने के लिए केवल ₹ 1,407.78 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया तथा वर्ष 2019-20 के लिए अभी तक मनोनीत निधि प्रबंधक को ₹ 4.33 करोड़ की राशि का हस्तांतरण करना बाकी है। 31 मार्च 2020 तक, ₹ 56.60 करोड़ (₹ 23.71 का कम अंशदान विवरणी - 21 के अनुसार तथा अहस्तांतरित ₹ 32.89 करोड़) हस्तांतरित होने बकाया थे। ₹ 23.71 करोड़ के कम हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप राजस्व/ राजकोीय घाटा उसी सीमा तक कम दिखाया गया (लेखाओं के अनुसार राजकोीय घाटा ₹ 30,518.62 करोड़ है)। एन.एस.डी.एल. ने ₹ 1,410.91 करोड़ जमा होने की पुष्टि की है।

राज्य सरकार को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि और एन.एस.डी.एल.द्वारा स्वीकृत की गई राशि के बीच के अंतर के मिलान के लिए कहा गया था।

6.12 वैयक्तिक जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम खण्ड–I के पैरा 12.16 और 12.17 के तहत (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू हैं), राज्य सरकार महालेखकार की स्वीकृति से विशिट प्रयोजनों हेतु धन जमा करने के लिए समेकित निधि अथवा अतिरिक्त से धन हस्तान्तरण द्वारा वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । वैयक्तिक जमा खातों में धन का हस्तान्तरण समेकित निधि में संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के नीचे बिना नकदी प्रवाह के व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः वैयक्तिक जमा खाते, वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष को समेकित निधि में वापिस हस्तांतरित करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक जमा खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते है । 31 मार्च 2020 को समेकित निधि से धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए वैयक्तिक खातों की संख्या दो थी। आगे उक्त नियमों के नियम 12.7 के नियम के तहत ऐसे वैयक्तिक जमा खाते जो समेकित निधि के अतिरिक्त धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए है, प्रत्येक वर्ष समीक्षा किए जाने चाहिए एवं तीन पूर्ण वर्षों से अधिक अवधि तक निक्रिय रहने वाले खाते बन्द कर दिए जाने चाहिए तथा इन खातों मे पड़ी राशि को सरकारी खातों में जमा कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2020 को क्रियाशील वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति निम्न प्रकार है :

वैयक्तिक खाते जहां से खोले गए	01 अप्रैल 2019 को वैयक्तिक जमा खाते		वर्ष 2019-20 के दौरान खोले गए वैयक्तिक जमा खाते		वर्ष 2019-20के दौरान बन्द किए गए वैयक्तिक जमा खाते		31 मार्च 2020 को अन्तिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	1	1,018.44	1	107.94	..	814.66*	2	311.72
समेकित निधि के अतिरिक्त	142	308.46	10	28.65	..	37.94*	152**	299.17
जोड़	**143**	**1,326.90**	**11**	**136.59**	**..**	**852.60***	**154**	**610.89**

**कोई वैयक्तिक जमा खाता बंद नहीं किया गया। यह राशि वर्ष के दौरान क्रियाशील वैयक्तिक जमा खातों में प्रदर्शित होने वाले माइनस विज्ञापन के लेन-देन का प्रतिनिधित्व करती है।*

*** ₹ 19.38 करोड़ के 15 वैयक्तिक जमा खाते (₹ 0.35 करोड़ के 5 खाते 3 वर्ष से अधिक के लिए, ₹ 0.62 करोड़ 6 खाते दो वर्ष से अधिक के लिए और ₹ 18.41 करोड़ के 4 खाते एक वर्ष से अधिक समय के लिए) निष्क्रिय पडे हैं।*

अतः 2019-20 के दौरान वैयक्तिक जमा खातों के शेषों में निवल ₹ 716.01 करोड़ की कमी हुई। पाँच वैयक्तिक जमा खाते जिनमें ₹ 0.35 करोड़ पडे हैं, तीन साल से अधिक समय से निक्रिय हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए हैं।

6.13 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनीयों, संयुक्त पूंजी कम्पनीयों तथा सहकारी संस्थाओं मे शेयर पूंजी के रूप में निवेश करती है । लेखों की विवरणी 8 और 19 के अनुसार (जैसे कि राज्य सरकार और लेखा परीक्षा कार्यालय से प्राप्त हुआ) वर्ष 2019-20 के अंत में सरकार का 110 संकायों मे ₹ 36,922.92 करोड़ का निवेश था ।

2019-20 के दौरान ₹ 87.01 करोड़ (कुल निवेशित राशि का 0.24 *प्रतिशत*) लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ । इसमें से, ₹ 3.52 करोड़ का लाभांश/ब्याज एक ही सांविधिक निगम (हरियाणा भण्डारण निगम, चण्डीगढ जिसमें ₹ 2.92 करोड़ का निवेश है) से तथा बाकी ₹ 83.49 करोड़ का लाभांश/ब्याज 109 संकायों में निवेशित ₹ 36,920.00 करोड़ की राशि से प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश में ₹ 6,175.01 करोड़ (निवल) तथा लाभांश में ₹ 30.41 करोड़ की वृद्धि हुई।

निवेशित संस्थाओं के द्वारा निवेश के आंकड़ों का मिलान राज्य सरकार की पुस्तकों के साथ नहीं किया जा रहा है।

6.14 व्यय की हड़बड़ी

विवेकशील वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में व्यय की हडबडी से बचा जाना चाहिए तथा व्यय को चरणबद्व तरीके से विनियमित करना चाहिए । राज्य सरकार द्वारा व्यय की हडबडी रोकने के समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए । मार्च 2020 के मास के दौरान किए गए व्यय की 2019-20 (प्री.) के कुल व्यय से तुलना निम्न प्रकार हैः

मार्च 2020 का व्यय (₹ करोड़ में)	2019-20 (प्री.) के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च 2020 के दौरान हुए व्यय की वर्ष 2019-20 (प्री.) के कुल व्यय से प्रतिशतता
10,548.40	**99,822.27**	**10.57**

6.15 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिट परियोजनों हेतु कुल 10 आरक्षित निधियॉ (5 ब्याज सहित और 5 ब्याज रहित) मौजूद थी। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

6.15.1 ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ

6.15.1 (क) राज्य आपदा राहत निधि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) से बदल दिया। निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र व राज्यों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, निधि अधिशेषों को निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार निवेश करना आवश्यक है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹ 227.10 करोड़ (वर्ष 2018-19 के दौरान, अधिक जारी ₹ 53.40 करोड़ की कटौती के बाद) वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय भाग की पहली और दूसरी किश्त जारी किए गए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 227.10 करोड़ के विरूद्ध राज्य का भाग ₹ 146.90 करोड बनता (पिछले वर्ष के भाग सहित) है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 599.16 करोड की राशि निधि को हस्तांतरित की गई, (विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पडे ₹ 25.16 करोड एवं निधि में पडे अनिवेशित अधिशेष पर ब्याज के ₹ 200.00 करोड सहित)। निधि से ₹ 42.56 करोड़ का व्यय प्रतिपूरित किया गया। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है हालांकि 31 मार्च 2019 को ₹ 2,616.12 का जमा शेष था। 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 3,172.72 करोड का अधिशेष था ।

6.15.1 (ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ सी दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा जारी हिदायतों और 2 जुलाई 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक है, जोकि प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा तथा एकत्रित धन राशि का प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा और संरक्षण, अवसंरचना विकास, वन्यजीव सरंक्षण और सुरक्षा व उपर्युक्त से जुड़े मामलों में तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करेगा।

लेखा व्यवस्था: उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से नीचे लघुशीर्ष-'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार, 90 प्रतिशत निधि को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां को हस्तांरित करने की आवश्यकता है और शेष 10 *प्रतिशत* की राशि वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा की जाएगी बशर्ते, राष्ट्रीय कोष में स्थानांतरित करने के लिए धन के 10 *प्रतिशत* केंद्रीय हिस्से का जमा मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

'8336-सिविल जमा' के अंतर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' और 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज की दर वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार होगी। चूंकि यह एक ब्याज सहित आरक्षित निधि है, इसलिए निधि शेष राशि का निवेश करना जरूरी है।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थितिः वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण निधि के राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 1,282.65 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान शीर्ष 8336 और 8121 के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं दिया। 31 मार्च 2020 तक क्षतिपूरक वनीकरण निधि से कोई व्यय नहीं किया गया जबकि 31 मार्च 2020 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल ₹ 1,282.65 करोड़ का शेष था।

15.2 ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ

6.15.2 (क) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार द्वारा खुले बाजार कर्जो की अदायगी के लिए वर्ष 2002 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया । नियमानुसार, सरकार द्वारा पूर्व वर्ष के अन्त में बकाया खुले बाजार कर्जो के 1 से 3 प्रतिशत के बराबर निधि को अंशदान करना निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा, हालांकि, वर्ष के दौरान निधि को कोई अंशदान नहीं दिया गया जिससे निधि को ₹ 1,149.90 करोड़ (31 मार्च, 2019 को लम्बित बाजार कर्जे ₹ 1,14,989.59 करोड़ का 1 प्रतिशत) कम अंशदान हुआ ।

31 मार्च, 2020 को समेकित निक्षेप निधि में ₹ 2,084.06 करोड़ का शेष था जिसमें से ₹ 2,081.93 करोड़ निवेशित है।

6.15.2 (ख) गांरटी मोचन निधि

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के प्रति दी गई गारंटियों के दायित्वों के निर्वहन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2003 में गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया। निधि के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संग्रहित गारंटी फीस , वार्षिक एवं आवधिक अंशदान जो भी राज्य सरकार द्वारा अनुमान लगाया जाए, के साथ गारंटी मोचन निधि को हस्तान्तरित करनी होती है। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019-20 के शुरू में सरकार की लम्बित गारंटियॉ ₹ 18,219.87 करोड. थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशा-निदेर्शो में पिछले वर्ष के अन्त में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 3 से 5 *प्रतिशत* के बराबर निधि कोष बनाने हेतु, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के शुरू में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 1 *प्रतिशत* एवं उसके बाद, प्रति वर्ष, कम से कम 0.5 *प्रतिशत* के बराबर अंशदान देना होता है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को कोई अंशदान नहीं दिया गया।

31 मार्च, 2020 को निधि में पड़ा ₹ 1,223.81 करोड. (जो ₹ 18,219.87 करोड. की लम्बित गारंटियों का 6.72 *प्रतिशत* है) का सारा शेष निवेशित है ।

6.15.2 (ग) खान एवं खनिज विकास, पुनरूत्थान एवं पुनझ्स्थापन निधि

राज्य के, खनन क्षेत्र में खनन स्थलों के पर्यावरण संरक्षण, समेकित उत्थान, परिरक्षण, पुनरूत्थान एवं पुर्नस्थापन तथा क्षेत्र में जैव एवं पर्यावरण संरक्षण/परिरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना के द्वारा, निधि की स्थापना की गई। निधि, 'बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां' के अन्तर्गत खोली गई है हालांकि यह 6 प्रतिशत ब्याज वाली निधि है।

निधि के संविधान के अनुसार, खनिज रियायत प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त बंधा लगान/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर 'अन्य प्रभार' के रूप में वसूल किए जाने है तथा पुनरूत्थान एवं पुर्नस्थापना कार्यो हेतु निधि में जमा किए जाने है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष के दौरान बंधा लगान /राज्यधिकार/संविदा मूल्य की मद में प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर सरकारी अंशदान को भी निधि में जमा/हस्तांतरित किया जाना है ।

1 अप्रैल 2019 को निधि में ₹ 170.52 करोड का अधिशेष था। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बंधा लगान इत्यादि की मद से ₹ 582.33 करोड एवं रियायत प्राप्त कर्ताओं से 'अन्य प्रभार' के रूप में ₹ 46.84 करोड़ प्राप्त हुए। ₹ 87.35 करोड़ की राशि (रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान के डैड किराये का 10 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 58.23 करोड तथा ₹ 582.33 करोड के बंधा लगान को 5 *प्रतिशत* के रूप में तथा राज्य भाग के ₹ 29.12 करोड) निधि को स्थानान्तरित की जानी थी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा, वर्ष के दौरान केवल ₹ 85.50 करोड (राज्य अंशदान ₹ 32.92 करोड़ एवं रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान ₹ 52.58 करोड़) निधि को स्थानान्तरित किऐ गऐ जिससे निधि को ₹ 1.85 करोड का कम अंशदान मिला। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने निधि में पडे शेषों पर ब्याज नहीं दिया, जिससे निधि में ब्याज का ₹ 10.23 करोड़ (₹ 170.52 करोड़ का 6 *प्रतिशत*) तक कम अंशदान हुआ । वर्ष के दौरान निधि में से ₹ 35.59 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे निधि में, 31 मार्च 2020 को ₹ 220.43 करोड़ का अधिशेष बच गया ।

लेखों में बंधा लगान इत्यादि एवं रियायत प्राप्त कर्ता के अंशदान की प्राप्ति तथा निधि में राज्य द्वारा किए हस्तान्तरण का कोई मिलान नही किया गया है।

6.15.3 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

" विकास योजना के लिए निधि" तथा"हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुर्ननिर्माण निधि" पिछले पाँच वर्षों से निक्रिय है। 31 मार्च 2020 को इन निधियों में क्रमशः ₹ 1.41 करोड़ और ₹ 2.29 करोड़ का शेष पड़ा है।

6.16 भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर की लेखा प्रणाली

भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक उपकर को छोड़ कर राज्य सरकार ने कोई उपकर नहीं लगाया है। यह उपकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इस उपकर को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार श्रमिकों की कार्यस्थितियों में सुधार लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत का 1 *प्रतिशत* से 2 *प्रतिशत* तक लगाया जा रहा है, इसे"हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" द्वारा एकत्र किया जाता है और"हरियाण भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि" में जमा किया जाता है।

श्रम उपकर के लेखांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई। उपकर प्राप्तियों को राज्य के समेंकित निधि के माध्यम से नहीं लिया जा रहा और राज्य सरकार के लेखों में इनको दर्ज/परिलक्षित नहीं किया जा रहा। चूंकि उपकर को लेखों के बाहर एकत्र किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित उपकर की राशि, नामित निधि को हस्तांतरित उपकर, बकाया अंतरण, उपकर निधियों की उपयोगिता को राज्य सरकार के खातों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह विवरण केवल हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा भेजा गया विवरण निम्नानुसार हैः

निधि में प्रारंभिक शेष	2019-20 के दौरान कुल उपकर संग्रहण	2019-20 के दौरान निधि से व्यय	निधि में अंतिम शेष
2,948.78	285.55	323.66	2,910.67

उपकर की लेखा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इस मामले को राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है ताकि राज्य के लेखों से यह डेटा आसानी से प्राप्त किया जा सके।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in